UPJS100024112024

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी ।

दाण्डिक परिवाद संख्या - 1969/ 2024

मनोज कुमार बनाम जयप्रकाश ।

थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी ।

दिनांक- 03. 06. 2026

1. पत्रावली पेश हुयी । पत्रावली वास्ते आदेश नियत है । वादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है ।
2. संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी मुहल्ला पटेलनगर, कस्बा व थाना गुरसरांय, जिला झांसी का निवासी है । अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र छिमाधर ने अपनी एक दुकान स्थित गरौठा चौराहा, गरौठा रोड पर, कस्बा गुरसरांय, तहसील गरौठा में स्थित है, जो 13 फुट लम्बी एवं 8 फुट चौड़ी है, जिसकी चौहद्दी पूर्व में सिंह कुमार तिवारी का मकान, पश्चिम में अभियुक्त जयप्रकाश की दूसरी दुकान, उत्तर में जयप्रकाश का मकान व दक्षिण में सड़क है । मुवलिग 6,50,000/ - (छः लाख पचास हजार रुपये) में दिनांक 05. 10. 2023 को परिवादी को विक्रय कर दी थी तथा उक्त जयप्रकाश ने कीमत का मुवलिग 4,50,000/ - रुपया दिनांक 05. 10. 2023 को समक्ष गवाहन परिवादी से प्राप्त कर लिया था और एक एक लाख रुपया की दो चैक क्रमशः चैक संख्या- 805377 एवं 805378 से खाता संख्या 14590001001117 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गुरसरांय में ट्रांसफर किए थे । इस प्रकार अभियुक्त जयप्रकाश ने परिवादी से कीमत का पूरा रुपया 6,50,000/ - (छः लाख पचास हजार रुपये) प्राप्त कर लिए थे और इसकी लिखा पढ़ी समक्ष गवाहन सुमित कुमार पुत्र ग्याप्रसाद, निवासी फरीदा, थाना गुरसरांय व कृष्णकान्त निरंजन पुत्र रमाकान्त, निवासी पसराई, थाना टहरौली, जिला झांसी दस रुपया के स्टाम्प पर लिखकर दिनांक 05. 10. 2023 को जयप्रकाश अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर करके परिवादी को दी थी और स्टाम्प पर यह भी तहरीर किया था कि जब परिवादी चाहे उक्त दुकान का पंजीकृत बैनामा कर लेवे । इसके बाद परिवादी ने उक्त अभियुक्त जयप्रकाश से कई बार उक्त दुकान का पंजीकृत बैनामा करने के लिए कहा, लेकिन वह टाल मटौल करता रहा । दिनांक 15. 09. 2024 को समय करीब 5 बजे शाम परिवादी ने उक्त अभियुक्त जयप्रकाश से कहा कि तुमने मुझसे दुकान का पूरा रुपया प्राप्त कर लिया है, गरौठा चलकर पंजीकृत बैनामा तहरीर कर दो तो उक्त अभियुक्त जयप्रकाश परिवादी के साथ बुरी बुरी गालियां देते हुए ये कहने लगा कि मुझे उक्त दुकान का कोई पंजीकृत बैनामा तुम्हारे नाम नहीं करना है, जब परिवादी ने कहा कि यदि दुकान का पंजीकृत बैनामा नहीं करना है तो मेरा 6,50,000/ - (छः लाख पचास हजार रुपये) वापस कर दो तो वह कहने लगा कि मुझे न ही रुपया वापस करना है और

न ही दुकान का बैनामा करना है। यदि तुमने कहीं कोई कार्यवाही की तो जान से मार दूंगा। अभियुक्त जयप्रकाश द्वारा परिवादी के साथ षडयन्त्र रचकर धोखाधड़ी कर परिवादी का 6,50,000/ - (छः लाख पचास हजार रुपया) हड़प लिया है।

3. परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में किये गये कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को प्रेषित प्रार्थनापत्र की कार्बन कॉपी, डाक रसीद, आधार कार्ड, विक्रयपत्र/ स्टाम्प की छायाप्रति, ट्रान्जेक्शन की छायाप्रति, दाखिल किये गये हैं।
4. परिवादी द्वारा अपने बयान धारा 223(1) बी०एन०एस०एस० में यह कथन किया गया है कि," जयप्रकाश हमारे मित्र थे। इनको पैसों की जरूरत थी तो जयप्रकाश ने हमको अपनी दुकान बेचने के लिए कहा तो हमने जयप्रकाश को 6,50,000/ - (छः लाख पचास हजार रुपया) दुकान के बदले दे दिए। जयप्रकाश ने कहा था कि कुछ दिन बाद बैनामा कर देंगे। एक साल तक बैनामा नहीं किया, जब हमने कहा बैनामा के लिए तो हमको बोले कि बैनामा नहीं करेंगे। फिर हमने कहा पैसा वापस कर दो तो जयप्रकाश ने मना कर दिया। हमको 2 लाख रुपये जयप्रकाश को अकाउण्ट में दे दिया और बाकी साढ़े चार लाख रुपया नकद दिया था और उन्होंने एक स्टाम्प पर लिखकर दिया था कि पैसे प्राप्त किया। हमने स्टाम्प को पत्रावली पर लगाया था और स्टाम्प का अकाउण्ट भी लगाया है। जब हम पैसे वापस मांगे तो मना कर दिया और हमको गालियां देने लगे। मुझे और कुछ नहीं कहना, यही मेरा बयान है।"
5. परिवादी के उपरोक्त परिवादपत्र पर विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा परिवादपत्र में अंकित दुकान का कोई सौदा या विक्रय परिवादी के पक्ष में कभी नहीं किया गया है और न ही दुकान के विक्रय से संबंधित कोई धनराशि अभियुक्त द्वारा परिवादी से कभी प्राप्त ही की गई है। परिवादी द्वारा जो दुकान के कथित विक्रय का स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है वह कूटरचित फर्जी है। उस पर मुझ अभियुक्त के कोई हस्ताक्षर नहीं है। मेरे हस्ताक्षर फर्जी कराए गए हैं तथा उस पर मेरी जो फोटो लगी हुई है वह मेरे पोस्टर की फोटो है। मेरे द्वारा कोई फोटो परिवादी को नहीं दी गई है और न ही परिवादी द्वारा तहरीर किए गए कूटरचित स्टाम्प पर व फोटो पर मेरे हस्ताक्षर ही हैं। कूटरचित स्टाम्प पर जो गवाहों के हस्ताक्षर हैं उनमें कृष्णकान्त निरंजन परिवादी का रिश्तेदार है व गवाह सुमित कुमार परिवादी का मित्र है। परिवादी से मेरी कभी भी बैनामा करने के संबंध में कोई बात चीत नहीं हुई है तथा न ही दिनांक 15. 09. 2024 को परिवादी से मेरी कोई बात चीत दुकान का बैनामा करने के संबंध में नहीं हुई है। मुझ अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ न तो कोई षडयन्त्र रचा गया है और न ही रुपया हड़प कर किसी तरह की कोई धोखाधड़ी की गई है। परिवादी मनोज कुमार द्वारा मुवलिग 6,00,000/ - (छः लाख रुपया) दिनांक 23. 01. 2022 को मुझ अभियुक्त से उधार लिया गया था। रुपया मांगने पर परिवादी मनोज कुमार ने मुझ अभियुक्त को दिनांक 02. 05. 2022 को पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मऊरानीपुर के अपने खाता संख्या 3673000108205160 की चैक संख्या 805458 मुवलिग 6,00,000/ - (छः लाख रुपया) की अपने हस्ताक्षर करके दी थी और बैंक से भुगतान प्राप्त करने हेतु कहा था। मनोज कुमार दी गई चैक मेरे द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु दिनांक 21. 05. 2022 को सेन्ट्रल बैंक शाखा गुरसरांय के अपने खाता संख्या 2017336857 में अन्तिम बार जमा की गई थी,

लेकिन परिवादी मनोज कुमार द्वारा भुगतान रोक देने के कारण प्रार्थी/ अभियुक्त को भुगतान प्राप्त नहीं हो सका था तथा चैक बगैर भुगतान के अभियुक्त को वापस दिनांक 08. 06. 2022 को कर दी गई थी। प्राथी/ अभियुक्त जयप्रकाश द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी मनोज कुमार को नोटिस दिनांक 10. 06. 2022 को प्रेषित कराया गया था, जो उसके ऊपर दिनांक 11. 06. 2022 को तामील हुआ। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी परिवादी मनोज कुमार द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त जयप्रकाश को नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया था। तब प्रार्थी जयप्रकाश ने न्यायालय में दिनांक 05. 07. 2022 को परिवादपत्र संख्या 1381/ 2022 जयप्रकाश बनाम मनोज कुमार धारा 138 एन०आई०एक्ट, थाना गुरसरांय प्रस्तुत किया था, जिसमें मनोज कुमार द्वारा जमानत करा ली गई है तथा उसका बयान मुल्जिम भी हो चुका है तथा प्रार्थी/ अभियुक्त जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसमें दिनांक 09. 09. 2025 नियत है। प्रार्थी/ अभियुक्त जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र से बचने के लिए मनोज कुमार द्वारा कूट रचना कर असत्य एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर झूंठी घटना दिखाकर परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी मनोज कुमार द्वारा जो परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, आपराधिक प्रकृति का मामला नहीं है। परिवादी द्वारा उक्त मामले को आपराधिक मामला बनाने की कुचेष्टा की गई है। अतः वादी का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. विपक्षी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मुकदमा सं०- 1381/ 2022 जयप्रकाश बनाम मनोज कुमार अन्तर्गत धारा- 138 एन०आई०एक्ट की सत्यापित प्रतिलिपि व उक्त मुकदमे में पारित तलबी आदेश दिनांकित- 05. 11. 2022 की सत्यप्रतिलिपि एवं फोटो प्रस्तुत की गयी है।
7. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
8. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में विपक्षी पर प्रतिफल के रूप से 6. 50 लाख रूपये प्राप्त करने के वाबजूद दुकान का बैनामा उसके हक में नहीं किये जाने का कथन किया गया है और अपने परिवादपत्र में यह आरोप लगाया है कि विपक्षी ने परिवादी के साथ गाली गलौच की और उसके साथ षडयंत्र रचकर धोखाधड़ी की। परिवादी के उक्त परिवादपत्र पर विपक्षी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी है जिसमें विपक्षी द्वारा मुकदमा सं०- 1381/ 2022 जयप्रकाश बनाम मनोज कुमार अन्तर्गत धारा- 138 एन०आई०एक्ट के वादपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि एवं उक्त मुकदमें पारित तलबी आदेश दिनांकित- 05. 11. 2022 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों के ही अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विरुद्ध चैक सं०- 805458 मुवलिग 600,000/ - रु० जो कि भुगतान पर रोक लगा दिये जाने के साथ अनादरित हुई हैं, का मुकदमा दायर किया है जो कि विचाराधीन है। साथ ही विपक्षी द्वारा जो स्वंय का फोटो प्रस्तुत किया गया है वह परिवादी द्वारा प्रस्तुत विक्रयपत्र में लगे विपक्षी के फोटो में कूटरचित रूप से प्रयोग किया जाना दर्शित हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मामला दुकान के बैनामा न करने को लेकर उत्पन्न हुआ है जो कि प्रथमतः सिविल प्रकृति का प्रतीत हो रहा है, इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि **G. Sagar Suri vs State of U. P. [2000(2) SCC 636]** उल्लेखनीय है जिसमें यह

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "It is to be seen if a matter, which is essentially of civil nature, has been given a cloak of criminal offence. Criminal proceedings are not a shortcut of other remedies available in law. Before issuing of process a criminal court has to exercise a great deal of caution for the accused it is a serious matter" प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य दुकान के बैनामे को लेकर विवाद स्पष्टतः दर्शित है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में सिविल प्रकृति का विवाद्यक तथ्य अन्तर्निहित है। प्रार्थी द्वारा मात्र दबाव बनाने के आशय से तथा आपराधिक रंग देने के आशय से वर्तमान प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना नहीं पाया जाता है। परिवादी का स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आना दर्शित है।

9. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अभियुक्त को तलब किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(सृष्टि शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, जनपद- झांसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

दिनांक- 03. 06. 2026

Mohd. Anas
Steno